कार्यालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक – 2570 दिनांक– 14.08.2025

– संशोधित कार्यालय आदेश –

(रिमाण्ड कार्य/धारा 196 बीएनएसएस (176द.प्र.सं.) ड्यूटी–अगस्त, 2025)

इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित कार्यालय आदेश (रिमाण्ड ड्यूटी–अगस्त, 2025) क्रमांक 2386 दिनांक 31.07.2025 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक परिवर्तन करते हुए संशोधित आदेश निम्न प्रकार प्रसारित किया जाता है कि –

1. उक्त कार्यालय आदेश द्वारा पीठासीन अधिकारी सुश्री अंजली जानू, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 06, जयपुर महानगर–द्वितीय को **दिनांक 16.08.2025 से 23.08.2025** तक रिजर्व रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत किया गया है। किन्तु सुश्री रश्मि दाधीच, न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–09, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा उनके स्थान पर दिनांक 16.08.2025 से 18.08.2025 तक की अवधि में रिजर्व रिमाण्ड ड्यूटी किये जाने हेतु लिखित सहमति के आधार पर सुश्री अंजली जानू, आर.जे.एस. की आवश्यक फौजदारी कार्यों (जिनमें जमानत, रिमाण्ड संबंधी कार्य, धारा 183 बीएनएसएस (धारा 164 द.प्र.सं.) के बयान, मृत्युकालिक कथन, धारा 196 बीएनएसएस (धारा 176 द.प्र.सं.) के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) हेतु **दिनांक 16.08.2025 से 18.08.2025** तक की अवधि में रिजर्व रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त की जाकर सुश्री रश्चिम दाधीच, आर.जे.एस. की ड्यूटी निम्नप्रकार लगायी जाती है।

क.सं.	अवकाश/ड्यूटी की दिनांक	न्यायालय का नाम	नाम पीठासीन अधिकारी व मोबाईल नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	16/08/2025 से 18/08/2025	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 09, जयपुर महानगर–द्वितीय	सुश्री रश्मि दाधीच, 63773–96252

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक – 2571- 2582 दिनांक – 14.08.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
2. श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।
3. श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर–द्वितीय।
4. श्रीमान पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर।
5. पुलिस उपायुक्त, जयपुर पश्चिम/उत्तर/मुख्यालय/यातायात, जयपुर महानगर।
6. न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 06/09, जयपुर महानगर–द्वितीय।
7. उप निदेशक, अभियोजन द्वितीय, जयपुर।
8. दी बार एसोसिएशन, बनीपार्क/कलेक्ट्रेट, जयपुर महानगर।
9. पुलिस कन्ट्रोल रूम, जयपुर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने हेतु।
10. नोटिस बोर्ड/कार्यालय आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय को जिला न्यायालय की साईट पर नियमानुसार अविलम्ब अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
12. वरिष्ठ मुंसरिम, संस्थापन शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर–द्वितीय